FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं S.D.O. मुकाम जायल

मानाराम वगैरा बनाम शिवाराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा० आवेदन नं. 89/21 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/3/2021	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री शिवदत्तराम सिंवर ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 27/4/2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) जायल	
27/04/21	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी पावती रसीद प्रार्थी वकील द्वारा पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। न्यायालय पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 06/08/2021 को पेश हो।	
06/08/21	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण अनुपस्थित। न्यायालय पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 07/12/2021 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:18:22 IST
Reason: SelfAttested

07/12/21 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनुप। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी प्रशासन गाँवों के संग अभियान - 2021 कैम्पों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 15/12/2021 को पेश हो।

15/12/2021 पत्रावली आज प्रशासन गाँवों के संग अभियान - 2021 कैम्प ग्राम पंचायत भोजासर में रखी गई। प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विपक्षीगणों की खातेदारी भूमि मेड़ से मेड़ आई हुई है। प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों के मध्य जो पुरानी मेड़ व डोले आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है। जिससे प्रार्थी को अपने खेत के सेढो का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। खेत के सेढो को लेकर प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करने हेतु पैमायशबन्दी करवानी आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का पैमायशबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर पैमायशबन्दी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का पैमायशबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू-अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की पैमायशबन्दी मौके पर कमिश्नर रिपोर्ट जमा करावें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर [illegible] कोमल कुमार होकर दर्ज नम्बर [illegible] हो।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:18:22 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / वाद / 1460 दिनांक : 15/12/2021

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. मानाराम पुत्र दीपाराम वगैरा जाति जाट निवासी उदरामाणियो की ढाणी तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर		1. शिवाराम पुत्र सोनाराम वगैरा जातिजाट निवासी उदरमोणियो की ढाणी तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या ...89/21

आदेश

मौजा उदरमाणियो की ढाणी पटवार हल्का पुनियो का तला के खेत खसरा नम्बर 683 रकबा 23.9007 हैक्टयर, खसरा नं. 686 रकबा 3.5450 हैक्टयर, खसरा नं. 330 रकबा 24. 0869 हैक्टयर की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वंय या अपने अधिनस्थ भू.अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा करवाकर करें तथा अपेक्षित होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना गिड़ा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 1461 to 1465 दिनांक : 15/12/2021

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एंव पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा।
2. पटवारी हल्का पुनियो का तला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी मानाराम वगैरा।
4. विप्रार्थीगण शिवाराम वगैरा।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, गिड़ा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:18:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु